अथवा ऊंचे क्षेत्रों में विशेषकर गर्मियों के दौरान पानी की कमी महसूस की जाती है। दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान द्वारा सूचित ऐसे क्षेत्रों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है **(नीचे देखिए)** नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्रों में मोती बाग, नेताजी नगर, नारौजी नगर और किदवाई नगर जैसी सरकारी कालोनियों में विशेषकर गर्मियों के दौरान पानी की कमी महसूस की जाती है।

(ख) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा कई जलाशय सह बूस्टर स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है जो पूर्ण/चालू होने वाले हैं और इसके परिणामस्वरूप पानी के सही वितरण से इलाकों को लाभ मिलने की सम्भावना है। नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्रों में नियंत्रण कक्ष पानी के टैंक भेजकर पानी की कमी की शिकायत का समाधान करता है। शीघ्र कार्यवाही हेतु नई दिल्ली नगर पालिका के "बिजली न होने की शिकायतों के" 13 शिकायत केन्द्र हैं। डेसू ने व्यापक तौर पर शिकायत के केन्द्र कायम किए हैं और "बिजली न होने की शिकायतों" पर कार्यवाही के लिए एक केन्द्रीकृत शिकायत केन्द्र स्थापित किया गया है।

विवरण

1. महरौली जोन

दक्षिणपुरी, हरकेश नगर, तुगलकाबाद, घिटोरनी, महरौली और आस-पास के गांव।

2. नई दिल्ली और दक्षिणी जोन

मदनगीर, साकेत, मालवीय नगर, इंडियन एअर लाइन्स कालोनी, बसन्त विहार, कालकाजी (गोविन्द पुरी), ईस्ट आफ कैलाश, अमृतपुरी, हरीनगर आश्रम और कोटला मुबारकपुर।

3. रोहिणी जोन

पीतमपुरा, रोहिणी सेक्टर 9, 13 और 14 तथा अन्य क्षेत्र।

4. नांगलोई/नरेला जोन

निजामपुर, टटेसर, घेवरा, कंझावला, रानी खेड़ा, मुबारकपुर डबास, रसूलपुर, मदनपुर, चांदपुर खादर, चांद पुर कंला, सलहपुर माजरा, करारा, मुण्डका, नागलोई और आस-पास के गांव।

5. एस०पी० जोन

नवी करीम, सदर बाजार और समीपस्थ ईदगाह क्षेत्र।

6. करोल बाग जोन

बलजीत नगर, बापा नगर, नारयाणा गांव, टोडापुर, न्यू राजिन्द्र नगर, ओल्ड राजिन्द्र नगर, फरीदपुरी, देवनगर।

7. पश्चिमी जोन

रमेश नगर, कीर्ति नगर, मोती नगर, अशोक नगर, हरी नगर के कुछ भाग और जेल रोड (नांगल राय) के चारों ओर का क्षेत्र, कृष्णापुरी, कृष्णा पार्क।

8. नजफगढ़ जोन

जीवन पार्क, धूल सिरस, नंगली सकरावती, नजफगढ़, मलिकपुर, कैर, हिरण्कूदना, दौलतपुर, खेड़ा झुलझुली, घुमन हेडा, राज नगर साध नगर, सागरपुर बिन्दापुर, विजय पार्क अनूप नगर, दरियापुर, बकखाता।

Fire Safety Measures in High rise Buildings

2967. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Fire Service in a recent survey had detected a number of Government and Private high rise buildings in the National Capital which had not complied with the 12-point fire safety measures provided by law in this regard;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what action has so far been taken against each of Government and private buildings by the concerned authorities; and

(d) what action Government propose to take to ensure that high rise buildings in the capital provide compulsory fire safety measures?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The Delhi Fire Service carried out a survey in November & December to ascertain the compliance of 12 fire safety requirements in high rise buildings unsafe from fire safety and means of escape angles.

(b) The Delhi Fire Service have detected 129 buildings in Delhi which

have not complied with the 12 compulsory fire safety requirements.

(c) The Delhi Fire Service had issued show cause notices to owners/occupiers of 70 unsafe high rise buildings in September, 1992.

(d) Delhi Fire Service have reported that 70 unsafe buildings have been served with show cause notices by them. Delhi Fire Service have reported considerable progress in providing 12 fire safety requirement & providing systems to combat the eventuality of fire in high rise buildings. The owners/occupiers who fail to ensure fire safety measures are liable to be prosecuted by the Delhi Fire Service.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन पंजीकृत सामूहिक आवास समितियों की संख्या

2968. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अब तक कितनी आवास समितियां पंजीकृत हैं;

(ख) इनमें से अब तक कितनी समितियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है; और

(ग) कितनी समितियों को भूमि का आवंटन किया जाना बाकी है और इन समितियों को भूमि का आवंटन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) दिल्ली में 2037 समूह आवास समितियों के पंजीकरण की जानकारी है।

(ख) पंजीयक, सहकारी समितियों द्वारा 1983 से पूर्व पंजीकृत 518 सहकारी समूह आवास समितियों को दिल्ली के विभिन्न भागों में भूमि आबंटित कर दी गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा, द्वारका चरण-I में भूमि के आबंटन के लिए 1983 से पूर्व पंजीकृत ऐसी II समितियों को 27.10.92 को और 1983 में पंजीकृत 246 समितियों को 02.11.92 से 04.11.92 के बीच पेशकश एवं मांग पत्र भेज दिए गए हैं।

(ग) भूमि आबंटन के लिए सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा अग्रेषित 400 ऐसी समितियों में से शेष 124 को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि, अवसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता की शर्त पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भूखंड आवंटित किए जाने की सम्भावना है।

Schemes to Real Estate Developers and Builders

2969. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under Government's consideration to introduce a scheme to real estate developers and builders and recognise those agents and developers who would acquire the approved status;

(b) if so, the details of the proposed scheme; and

(c) to what extent the scheme would check illegal profiteering by real estate developers and builders?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) The proposed rating agency for developers would give approved status to developers and property agents, on the basis of clearly defined criteria based on the qualifications and previous performance of the builders and property agents.

(c) The rating of real estate operators is expected to weed out unscrupulous builders and protect and interests of consumers. It can be backed up by provisions by state laws to penalise builders for violations of agreements with purchasers of flats and plots.